झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/कार्य/820/2013............./राँची, दिनांक–.................................

प्रेषक,

ई० आर० एस० तिग्गा,
अभियंता प्रमुख–I,

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
राँची/हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर,
चांडिल कम्पलेक्स एवं ईचा कम्पलेक्स।

FAX
आवश्यक

विषयः– **कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।**

महाशय,

वर्ष 2017–18 में कटाव निरोधक एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में निम्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाय–

1. वर्षा ऋतु की समाप्ति पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कराये जाने वाले कार्यो का प्रस्ताव क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति को उपलब्ध करायेंगे।
2. क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति स्थल निरीक्षण कर कार्य का स्वरूप निर्धारित करेगीं। इसके आधार पर मुख्य अभियंता, योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन राज्य तकनीकी सलाहकार समिति को समर्पित करेंगे।
3. राज्य तकनीकी सलाहकार समिति विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के बाद अपनी अनुशंसा योजना समीक्षा समिति को उपलब्ध करायेगी।
4. योजना समीक्षा समिति प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा के बाद अनिवार्यता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर कराये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी।
5. योजना समीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर अनुशंसित योजनाओं हेतु विभाग द्वारा Go-ahead आदेश निर्गत किया जायेगा।
6. विभाग द्वारा निर्गत Go-ahead के आधार पर कार्यों के कार्यान्वयन संबंधी औपचारिकताएँ यथा निविदा आदि की जा सकेगी।
7. Go-ahead दिये गये योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नियमानुसार दी जायेगी। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
8. आगामी वर्षा ऋतु (वर्ष 2018) के पूर्व कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्यो को 31 मई तक अन्य नदियों के लिए एवं 15 जून तक गंगा नदी के लिए पूर्ण कर लिया जाय।
9. बाढ़ सुरक्षात्मक/कटाव निरोधक कार्यो के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न समितियों का गठन विभागीय संकल्प सं०–1168 दिनांक–27.09.2007 द्वारा किया गया है।
10. वर्ष 2017–18 के लिए उक्त कार्यों के लिए कार्यक्रम निम्नवत् संसूचित किया जाता है–

i.	संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा कटाव निरोधक कार्यों का प्रस्ताव/प्राक्कलन संबंधित कटाव निरोधक समिति/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति को उपस्थापित करना।	30.10.2017 तक
ii.	कटाव निरोधक समितियों/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण	03.11.2017 तक
iii.	कटाव निरोधक समितियों/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन संबंधित मुख्य अभियंताओं को उपलब्ध कराना	06.11.2017 तक
iv.	कटाव निरोधक समितियों/ बाढ़ विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आलोक में योजना प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कर मुख्य अभियंताओं द्वारा राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाना	10.11.2017 तक
v.	राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा कटाव निरोधक समिति/बाढ़ विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त प्रस्ताव की तकनीकी समीक्षा एवं अनुशंसा प्रतिवेदन	15.11.2017 तक
vi.	तकनीकी सलाहकार समिति की समीक्षा के आलोक में मुख्य अभियंता द्वारा, संशोधित प्रस्ताव का विभाग को उपस्थापन	20.11.2017 तक
vii.	योजना समीक्षा समिति की बैठक (योजनाओं की अनुशंसा हेतु)	24.11.2017 तक
viii.	स्थिति के आधार पर 'गो अहेड' आदेश का संसूचन	30.11.2017 तक
ix.	योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति (विभाग द्वारा)	08.12.2017 तक
x.	निविदा आमंत्रण, निविदा प्राप्ति एवं निविदा निष्पादन	05.01.2018 तक
xi.	कार्याबंटन/कार्यारम्भ	10.01.2018 तक
xii.	कार्य समापन की अवधि	गंगा नदी 15.06.2018 तक अन्य के लिए 31.05.2018 तक

अतः अनुरोध है कि सभी मुख्य अभियंता उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/–
(आर० एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/कार्य/820/2013............./राँची, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, समग्र योजना, रूपांकण एवं जल विज्ञान, राँची सह अध्यक्ष राज्य तकनीकी सलाहकार समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आर० एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/कार्य/820/2013............./राँची, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग सह अध्यक्ष योजना समीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(आर० एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/कार्य/820/2013............./राँची, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
(आर० एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–I

पत्रांक–1/पी0एम0सी0/कार्य/820/2013...784.../राँची, दिनांक–...24-10-17...

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/10/17
(आर० एस० तिग्गा)
अभियंता प्रमुख–I

1_PMC_820_13